प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 29.12.2025

संवाद की ओर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद

वादी संवाद दिवस : पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की दिशा में सार्थक पहल

श्री जे. रविन्दर गौड, पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद के निर्देशन में जनता को त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण न्याय दिलाने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद में **वादी संवाद नीति** लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक **बुधवार** को सभी थानों पर **वादी संवाद दिवस** आयोजित किया जाता है। दिनांक 03.09.2025 को कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर प्रथम वादी संवाद दिवस आयोजित किया गया।

वादी संवाद दिवस का उद्देश्य वादियों और पुलिस के बीच सार्थक संवाद स्थापित कर पारदर्शिता, विश्वास एवं शीघ्र न्याय की प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करना है। जिसके क्रम में विवेचनाधीन अभियोगों **(एफ0आई0आर0/एन0सी0आर0) तथा गुमशुदगी** से सम्बन्धित वादी को थाने पर आमंत्रित कर सम्बन्धित विवेचकों के साथ संवाद स्थापित करते हुए विवेचना की वर्तमान स्थिति एवं प्रगति से अवगत कराते हुए वादियों के सभी प्रश्नों का उचित, तथ्यात्मक एवं संतोषजनक उत्तर देते हुए संतुष्ट किया जाता है।

कार्यक्रम की रूपरेखा-

- इस विशेष दिवस पर थाने स्तर पर **विवेचनाधीन अभियोगों (एफ.आई.आर./एन.सी.आर.)** तथा **गुमशुदगी से संबंधित मामलों** के वादियों को आमंत्रित किया गया जाता है।
- वादीगण को उनके मामलों के **संबंधित विवेचकों** के साथ बैठाकर संवाद स्थापित कराया जाता है।
- विवेचना की **वर्तमान स्थिति एवं प्रगति** से वादियों को विस्तारपूर्वक अवगत कराया जाता है।
- वादियों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का **तथ्यात्मक, उचित एवं संतोषजनक उत्तर** दिया जाता है।

उद्देश्य एवं महत्व -

- वादियों को उनके मामलों की स्थिति की स्पष्ट जानकारी देकर **पारदर्शिता** सुनिश्चित करना।
- पुलिस और जनता के बीच **विश्वास का वातावरण** निर्मित करना।
- न्यायिक प्रक्रिया को **शीघ्र एवं प्रभावी** बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना।
- वादियों की **संतुष्टि एवं विश्वास** को प्राथमिकता देना।

परिणाम-

- वादी संवाद दिवस के माध्यम से वादियों को अपने मामलों की अद्यतन जानकारी प्राप्त होती है।
- पुलिस और वादियों के बीच **सकारात्मक संवाद एवं सहयोग** की भावना मजबूत होती है।
- वादियों ने इस पहल को **जनहितकारी एवं विश्वास बढ़ाने वाला कदम** बताया।

दिनांक 03.09.2025 से दिनांक 24.12.2025 तक कमिश्नरेट गाजियाबाद के समस्त थानों पर आयोजित किए गए वादी संवाद दिवस में संवाद हेतु उपस्थित आए वादियों का जोनवार संख्यात्मक विवरण -

आयोजित वादी संवाद दिवस की कुल संख्या	नगर	ट्रांस हिण्डन	ग्रामीण	कुल
17	1687	1244	2196	5127

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में **वादी संवाद दिवस** गाजियाबाद पुलिस की एक जन सरोकार आधारित पहल है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक वादी को अपने प्रकरण की सही जानकारी समय पर मिले एवं उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर विश्वास और संतोष प्राप्त हो। यह नई पहल पुलिस व जनता के बीच आपसी सहयोग एवं विश्वास को और अधिक मजबूत करेगी। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा जनकेन्द्रित पुलिसिंग के दृष्टिगत भविष्य में भी इसी प्रकार के नवाचार जारी रहेंगे।

ZFD के अंतर्गत चिन्हित 14 थानों की CC टीम को बेसिक लाइफ सपोर्ट एवं CPR का प्रशिक्षण

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात), तथा पुलिस उपायुक्त यातायात गाजियाबाद के पर्यवेक्षण में सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से Zero Fatality

District (ZFD) के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए आज दिनांक 29.12.2025 को पुलिस लाइन स्थित UP-112 प्रशिक्षण कक्ष में ZFD के अंतर्गत चिन्हित 14 थानों की CC (Critical Corridor) टीम को बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एवं कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण यशोदा हॉस्पिटल, नेहरू नगर की विशेषज्ञ चिकित्सकीय प्रशिक्षक टीम द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को गोल्डन आवर के दौरान प्राथमिक उपचार, CPR देने की सही तकनीक, श्वसन मार्ग को सुरक्षित रखने, हृदय गति रुकने की स्थिति में त्वरित सहायता तथा आपातकालीन स्थितियों में जीवन रक्षक उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अवसर पर श्री अलोक प्रियदर्शी-अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात), श्री त्रिगुण बिसेन-पुलिस उपायुक्त (यातायात), श्री जियाउद्दीन अहमद-सहायक पुलिस आयुक्त (यातायात प्रथम), ZFD के अंतर्गत चिन्हित 14 थानों की CC टीम के प्रभारी एवं सदस्य तथा यशोदा हॉस्पिटल नेहरू नगर की प्रशिक्षक टीम उपस्थित रही।

ZFD (Zero Fatality District) का उद्देश्य:-

ZFD का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमे होने वाली मौतों को कम करना है। इसके अंतर्गत दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान, प्रभावी यातायात नियंत्रण, प्रवर्तन, जन-जागरूकता तथा दुर्घटना के बाद त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जाती है। ZFD के अंतर्गत गाजियाबाद में 14 थाना क्षेत्रों में सर्वाधिक दुर्घटना बाहुल्य स्थलों का चिन्हीकरण करते इन थानों से 01-01 CC टीम का गठन किया गया है

CC (Critical Corridor) टीम के प्रमुख कर्तव्य

- सड़क दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर सतत निगरानी एवं त्वरित कार्रवाई
- दुर्घटना की स्थिति में सबसे पहले मौके पर पहुँचकर यातायात को सुचारु करना
- घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार एवं CPR जैसी जीवन रक्षक सहायता प्रदान करना
- एम्बुलेंस एवं चिकित्सकीय सहायता को शीघ्र मौके तक पहुँचाना
- दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु नियमों का सख्ती से पालन कराना एवं जन-जागरूकता बढ़ाना

यह प्रशिक्षण CC टीम की दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे दुर्घटना के बाद समय पर सही उपचार देकर बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सकेगा। भविष्य में भी इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जाएंगे।

31 दिसंबर के उपरांत बिना QR कोड के ई-रिक्शा के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद महोदय के निर्देशानुसार यातायात पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित, सुरक्षित बनाए जाने के साथ-साथ महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ई-रिक्शा चालकों/स्वामियों को यूनिक **QR** कोड प्रदान किए जा रहे हैं।

- QR **कोड दिए जाने का उद्देश्य**

  प्रत्येक ई-रिक्शा को एक विशिष्ट **QR** कोड से जोड़ा जा रहा है, जिससे अधिकृत पंजीकरण सुनिश्चित हो तथा अवैध/अनधिकृत ई-रिक्शा के संचालन पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

- **चालक एवं वाहन का सत्यापन:**

  QR कोड स्कैन करने पर चालक का नाम, फोटो, मोबाइल नंबर, वाहन पंजीकरण/परमिट सहित आवश्यक विवरण उपलब्ध होगा, जिससे यात्रियों को चालक की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त हो सके।

- **महिला सुरक्षा सुदृढ़ीकरण:**

QR कोड के माध्यम से ई-रिक्शा चालक की पहचान सुनिश्चित होने से महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़, दुर्व्यवहार अथवा अन्य आपराधिक घटनाओं की रोकथाम में सहायता मिलेगी। किसी भी आपात स्थिति में ई-रिक्शा एवं चालक की त्वरित पहचान कर तत्काल पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी, जिससे आमजनों प्रमुखतः महिलाओं का ई-रिक्शा यात्रा के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

- **यातायात नियंत्रण एवं अनुशासन:**
  निर्धारित रूट, नो-एंट्री क्षेत्रों एवं यातायात नियमों के पालन की निगरानी सरल होगी, जिससे जाम, अव्यवस्थित पार्किंग एवं नियम उल्लंघन में कमी आएगी।

- **अपराध नियंत्रण एवं त्वरित कार्यवाही:**
  किसी दुर्घटना या आपराधिक घटना की स्थिति में **QR** कोड के माध्यम से ई-रिक्शा की पहचान कर त्वरित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

- **आमजन की सुविधा एवं विश्वास:**
  यात्रियों को सुरक्षित, पंजीकृत एवं सत्यापित ई-रिक्शा सेवा उपलब्ध होगी, जिससे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था पर जन-विश्वास सुदृढ़ होगा।

महत्वपूर्ण सूचना:-

यातायात पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा सभी ई रिक्शा स्वामी/चालकों से अनुरोध है, कि दिनांक 31 दिसंबर से पूर्व यातायात पुलिस द्वारा चलायी जा रही QR कोड योजना के अंतर्गत पंजीकृत कराकर निःशुल्क QR कोड प्राप्त कर लें। दिनांक 31 दिसंबर के उपरांत जिन ई-रिक्शा पर QR कोड अंकित नहीं पाया जाएगा, उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अपील:-

सभी ई-रिक्शा चालकों/स्वामियों से अपील की जाती है, कि निर्धारित समय-सीमा के अंदर अपना निःशुल्क पंजीकरण पूर्ण कराते हुए **QR** कोड प्राप्त करें एवं उसे ई-रिक्शा पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। यह व्यवस्था न केवल यातायात अनुशासन बल्कि महिला सुरक्षा एवं यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट आमजन के सहयोग से शहर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं महिला-अनुकूल बनाने हेतु प्रतिबद्ध है।